

सं. : एमएमटीसी/काका/16-29/विधि/दिल्ली/504/अधिवक्ताओं का मनोनयन 29.06.2020

**अधिवक्ताओं/सॉलिसिटर/विधि फर्म के मनोनयन के लिए रूचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) के लिए आवेदन आमंत्रित**

एमएमटीसी लिमिटेड, भारत सरकार का एक उपक्रम, अधिवक्ता/विधि फर्म के पुनर्गठन का प्रस्ताव देता है। मनोनयन के लिए इच्छुक अधिवक्ता/सॉलिसिटर/विधि फर्म सेरूचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) निर्धारित प्रारूप में मोहरबंद लिफाफे में आमंत्रित है। मनोनयन के लिए निर्धारित शुल्क, फॉर्म भरने के लिए आवश्यकताएँ और आवेदन फॉर्म सहित ईओआई दस्तावेजों का पूरा विवरण एमएमटीसी के वेबसाइट [www.mmtclimited.com/tenders](http://www.mmtclimited.com/tenders) और NIC के [www.nic.in](http://www.nic.in) से डाउनलोड किया जा सकता है।

ईओआई की प्रविष्टि सभी सहायक दस्तावेजों के साथ अनुलग्नक 'A' में दिये गये निर्धारित प्रारूप में "अधिवक्ता/सॉलिसिटर/विधि फर्म के मनोनयन के लिए आवेदन" उपरिलिखित मुहरबंद लिफाफे में रजिस्टर्ड डाक/स्पीड पोस्ट के द्वारा 15.07.2020 तक या इससे पहले 15:00 बजे तक प्रमुख-विधि, एमएमटीसी लिमिटेड, कोर-1, स्कोप कॉम्प्लेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली - 110003 के पता पर की जा सकती है। ई-मेल/साधारण डाक द्वारा प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। उपर्युक्त तारीख, यदि आवश्यकता हुई तो, बदली जा सकती है और बदलाव की गयी तारीख की सूचना एमएमटीसी के अधिकारिक वेबसाइट पर दी जाएगी। निर्धारित तारीख और समय के बाद प्राप्त तथा दिशानिर्देशों के अनुसार प्रस्तुत नहीं की गई 'रूचि की अभिव्यक्ति (ईओआई)' अस्वीकृत कर दी जाएगी।

(ए जेना)

प्रमुख - विधि

एमएमटीसी लिमिटेड